[Extract from Haryana Govt. Gazette dated 29.08.2023]

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 29, 2023 (BHADRA 7, 1945 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2023

संख्या एच० पी०पी०ए०/आरइजी–02 .— हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा–16 की उप–धारा (3) के साथ पठित धारा 46 की उप–धारा (1) के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण इसके द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन विनियमों को हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा इनकी अधिसूचना होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम " का अभिप्राय, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 से है;

(ख) " अनुसूची " का अभिप्राय इन विनियमों की अनुसूची से है;

(ग) " धारा " या " उपधारा " का अभिप्राय अधिनियम की धारा या उपधारा से है;

(घ) "अस्थायी कर्मचारी " का अभिप्राय अस्थायी अवधि के लिए प्राधिकरण में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों से है जो स्थायी नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकते है ;

(2) इनमें प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में उनका अभिप्राय निर्धारित किया गया है।

3. अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पद

(1) प्राधिकरण में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इन विनियमों की अनुसूची– I में सूचीबद्ध पदों पर विचार किया जाएगा ।

(2) इन विनियमों की अनुसूची– I में सूचीबद्ध पदों के अलावा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद की ड्यूटी एवं अर्हता के साथ पद विनिर्दिष्ट कर सकते है, यदि उनकी राय में ऐसी परिस्थितियां मौजूद होंगी तथा इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा ।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के तहत गठित कार्यकारिणी समिति की पुष्टि के लिए उप विनियम (2) के तहत उठाए गए किसी कदम की सूचना प्रदान करेंगे ।

(4) जहां कार्यकारिणी समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उठाए गए कदम की उप विनियम (2) के तहत पुष्टि करने से मना कर देती है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तत्काल कार्यमुक्त कर देंगे ।

4. अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

(1) अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं वह होंगी, जो इन विनियमों की अनुसूची– I में निर्धारित हैं ।

(2) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाले किसी बोर्ड, कंपनी या अन्य एजेंसी की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद के समतुल्य पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित कोई पाबंदी नहीं होगी ।

5. नियुक्ति की विधि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित ढंग से की जाएगी , अर्थात;

(क) प्रशासन प्रभाग के अधीन पदों के लिए

(i) वेबसाइटों और समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करके; अथवा

(ii) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा जिन्होंने केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाले किसी बोर्ड, कंपनी या अन्य एजेंसी में नियमित आधार पर सेवा की है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी सरकार या ऐसे बोर्ड, कंपनी या अन्य एजेंसी में 10 वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा नहीं की है और पद के लिए उसके पास संगत एवं आवश्यक अनुभव है ।

(ख) प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए (प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, शिकायत निवारण, संचार और स्मार्ट कार्ड प्रभाग)

(i) वेबसाइटों और समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करके ; अथवा

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में इंजीनियरिंग में गेट के अंकों के आधार पर ; अथवा

(iii) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्लेसमेंट एजेंसियों से।

6. नियुक्ति का ढंग

(1) इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) (i) के तहत अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी और यदि ऐसा अपेक्षित होगा, तो पिछले अनुभव के लिए प्रदान किए गए वेटेज के आधार पर होगी ।

(2) उप विनियम (1) के तहत पिछले अनुभव के लिए प्रदान किया जाने वाला वेटेज –

(क) चयन के लिए कुल अंको के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और

(ख) सार्वजनिक विज्ञापन में इसकी घोषणा की जाएगी ।

(3) इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) (पप) के तहत अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा गठित की जाने वाली समिति की सिफारिशों पर होगी ।

(4) उप विनियम (3) के तहत गठित समिति पद के लिए संगत अनुभव तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाले किसी बोर्ड, कंपनी या अन्य एजेंसी में उसकी सेवा के दौरान ऐसे व्यक्ति की निष्ठा एवं निष्पादन की दृष्टि से व्यक्ति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी ।

(5) हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण में विनियम–5 के खंड (ख) (प), (ख) (पप) और (ख) (पपप) के तहत प्रौद्योगिकी पेशेवरों के चयन की प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(6) उपरोक्त विनियमन–5 (ख) (प) और (ख) (पप) में उल्लिखित नियुक्ति की विधि के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सीवी/आवेदनों को छटनी करने के उद्देश्य से, विशेष एजेंसी (एजेंसियों) की सेवाएं ली जा सकती हैं, यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसा चाहता है।

(7) सामान्यतः उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करके प्रौद्योगिकी पेशेवरों की नियुक्ति की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो साक्षात्कार आयोजित करने से पहले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर, प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर/ किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से एक कौशल मूल्यांकन परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है।

(8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवेदनों की जांच, दस्तावेजों और अनुभव प्रमाणपत्रों के सत्यापन, साक्षात्कार आयोजित करने और नियुक्ति के लिए अनुशंसाएं करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों की एक उपयुक्त समिति का गठन करेगा।

(9) समिति अनुशंसाएं करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है और प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन समिति की अनुशंसाओं को निर्णय के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

(10) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति की अनुशंसाओं पर, समिति द्वारा अनुशंसित प्रौद्योगिकी पेशेवरों को नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है।

7. अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा तथा अवधि

(1) अस्थायी कर्मचारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष अथवा परियोजना जिस पर उसकी नियुक्ति होती है, की अवधि अथवा 58 वर्ष, जहां ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति इन विनियमों के विनियम–5 के खंड (क) (i), (ख) (i), ख (ii) व ख (iii) के तहत की गई है या 65 वर्ष, जहां ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति इन विनियमों के विनियम–5 के खंड (क) (ii) के तहत की गई है, जो भी पहले हो।

(2) किसी व्यक्ति की अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति की अवधि, ऐसे व्यक्ति की कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा और क्षमता के मूल्यांकन के बाद, साल–दर–साल आधार पर नवीनीकृत की जा सकती है या जब तक वह 58 वर्ष का नहीं हो जाता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति को इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) (i), ख (i), ख (ii) और (ख) (ii) के तहत नियुक्त किया गया है है अथवा 65 वर्ष जहाँ ऐसे व्यक्ति को इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) (ii) के तहत नियुक्त किया जाता है, की आयु प्राप्त करने तक, जो पहले हो, होगी ।

(3) अस्थायी कर्मचारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति, जब तक कि पहले नवीनीकृत नहीं की जाती है, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी और नियुक्ति समाप्त करने के लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अग्रिम में कम से कम दो माह का नोटिस देकर अथवा इसके बदले में दो माह के पारिश्रमिक का भुगतान करके किसी भी समय नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है ।

8. पारिश्रमिक

(1) विनियम 5 के खंड (क)(i), (ख)(i), (ख)(ii) और (ख)(iii) के तहत नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों के लिए देय पारिश्रमिक इन नियमों की अनुसूची– II में वर्णित अनुसार होगा। उपरोक्त के अलावा, प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य भत्तों का भुगतान भी किया जाएगा।

(2) उपरोक्त के अलावा, कार्य प्रदर्शन के आधार पर रिपोर्टिंग अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जिसमें 0–3% का परिवर्तनीय घटक और पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बढ़े हुए महंगाई भत्ते का 75% निश्चित घटक होगा।

(3) अस्थायी कर्मचारियों के लिए प्रवेश स्तर का पारिश्रमिक जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची– II (कॉलम संख्या–2) में उल्लिखित है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बढ़े हुए महंगाई भत्ते के 75% की सीमा तक सालाना बढ़ाया जाएगा।

(4) जहां किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी बोर्ड, कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित वाली किसी अन्य एजेंसी की सेवा से निवृत्त पूर्व उसके पद के समकक्ष पद पर विनियम 5 के खंड (क) (पप) के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया गया हो और जहां से उसे पेंशन प्राप्त हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त अंतिम वेतन में से पेंशन को घटाकर एकमुश्त वेतन दिया जाएगा।

9. अवकाश के लिए पात्रता

(1) अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति वास्तविक सेवा के प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश का पात्र होगा, तथा जहां नियुक्ति कैलेंडर वर्ष के दौरान की जाती है अथवा नियुक्ति की समाप्ति पर, आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश के लिए पात्रता की गणना नियुक्ति के पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

(2) प्राधिकरण, समय–समय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का बीमा करा सकता है।

परन्तु यह कि विनियम 5 के खंड (क) (ii) के तहत अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति का प्राधिकरण द्वारा बीमा नहीं किया जाएगा, जो अपने पिछले नियोक्ता से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है ।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशिष्ट कारणों से, अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को विशेष छुट्टी देने का विवेकाधिकार और शक्ति होगी।

10. यात्रा भत्ता

अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति किसी समकक्ष पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले यात्रा भत्ते के बराबर यात्रा भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से बाहर ड्यूटी पर यात्रा करनी हो।

11. अन्य शर्तें

(1) इन विनियमों के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति पर हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियमावली, 2016 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, ग्रेच्युटी या मृत्यु लाभ आदि के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(3) अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति की गोपनीय रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर दर्ज की जाएगी तथा वह उसके निष्पादन, ज्ञान, कौशल , कार्य एवं आचरण का आकलन करेंगे ।

12. कठिनाइयों का निवारण

यदि इन विनियमों के कार्यान्वयन में कोई शंका या प्रश्न उठता है, तो ऐसी शंका या प्रश्न को प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा तथा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

स्थान पंचकूला।

विकास गुप्ता,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण

अनुसूची–I

विनियम 3 का उप–विनियम (1) और विनियम 4 का उप विनियम (1) देखें

#	प्रभाग नाम	अनुभाग नाम	इकाई नाम	पद	पदों की संख्या	कुल अनुभव	न्यूनतम योग्यताएं	प्रासंगिक अनुभव
1	प्रशासन प्रभाग	सचिवालय	-	प्रशासनिक अधिकारी	1	12 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक डिग्री	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वैधानिक प्राधिकरण या सूचीबद्ध निजी क्षेत्र की कंपनी में फाइलों व अन्य दस्तावेजों को तैयार करने व रखरखाव का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव
			सचिवालय	अधीक्षक	1	8 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री (पूर्ण कालिक)	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम में या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वैधानिक प्राधिकरण में या सूचीबद्ध निजी क्षेत्र की कंपनी में, कार्यालय प्रशासन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव
	प्रशासन प्रभाग	एस्टाब्लिशमेंट		प्रशासनिक अधिकारी	1	12 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम में या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वैधानिक प्राधिकरण में या निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनी में फाइलें व अन्य दस्तावेज तैयार करने व रखरखाव का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव
	प्रशासन प्रभाग	एस्टाब्लिशमेंट	जनरल एंड एस्टाब्लिशमेंट	अधीक्षक	1	8 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री (पूर्ण कालिक)	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम में या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वैधानिक प्राधिकरण या निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनी में कार्यालय प्रशासन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव
			ह्यूमन रिसोर्सेज	एच आर मैनेजर	1	8 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से मानव संसाधन या व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर डिग्री (पूर्ण कालिक)	मानव संसाधन पर्यवेक्षीय पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। राज्य/केंद्र सरकार के साथ अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
2	प्रौद्योगिकी प्रभाग	एप्लीकेशन डेवलपमेंट	एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूनिट (1 व 2)	सॉफ्टवेयर डेवलपर	8		सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी/सी.एस.ई./ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार /कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्णकालिक) स्नातक डिग्री या एम.सी.ए.	
	प्रौद्योगिकी प्रभाग	एप्लीकेशन डेवलपमेंट	एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूनिट (1 व 2)	क्वॉलिटी एनालिस्ट	2		सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी/सी.एस.ई./	

#	प्रभाग नाम	अनुभाग नाम	इकाई नाम	पद	पदों की संख्या	कुल अनुभव	न्यूनतम योग्यताएं	प्रासंगिक अनुभव
							इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/ कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्णकालिक) स्नातक डिग्री या एम.सी.ए.	
	प्रौद्योगिकी प्रभाग	एप्लीकेशन डेवलपमेंट	एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूनिट (1 व 2)	यूआई/यू एक्स डेवलपर	2		सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी/सी.एस.ई./ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/ कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्णकालिक) स्नातक डिग्री या एम.सी.ए.	
				मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर	2		सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी/सी.एस.ई./ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/ कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्णकालिक) स्नातक डिग्री या एम.सी.ए.	
	प्रौद्योगिकी प्रभाग	एप्लीकेशन डेवलपमेंट	एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूनिट (3 व 4)	सॉफ्टवेयर डेवलपर	8		सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी/सी.एस.ई./ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार /कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्णकालिक) स्नातक डिग्री या एम.सी.ए.	
	प्रौद्योगिकी प्रभाग		एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूनिट (3 व 4)	क्वॉलिटी एनालिस्ट	2		सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी/सी.एस.ई./ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/ कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्णकालिक) स्नातक डिग्री या एम.सी.ए.	
	प्रौद्योगिकी प्रभाग			यू.आई/ यू.एक्स डेवलपर	2		सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी/सी.एस.ई./ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/ कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्णकालिक) स्नातक डिग्री या एम.सी.ए.	
				जीआईएस डेवलपर	2	3 वर्ष	सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ जीआईएस/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री	उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त टूल्स जैसे आर्कजीआईएस, मैपइन्फो स्क्रिप्टिंग आदि पर जीआईएस डोमेन में काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव

#	प्रभाग नाम	अनुभाग नाम	इकाई नाम	पद	पदों की संख्या	कुल अनुभव	न्यूनतम योग्यताएं	प्रासंगिक अनुभव
							(पूर्ण कालिक) सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एमबीए या लोक नीति में मास्टर डिग्री (पूर्णकालिक)	
				टेक डॉक्यूमेंट राइटर	1		सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / व्यावसायिक संस्थान से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी / सीएसई / इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार / कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्ण कालिक) स्नातक डिग्री	
S	प्रक्रिया प्रभाग	प्रोसेस एंड इंटीग्रेशन	प्रोसेस एंड इंटीग्रेशन (अदर्स)	बिजनेस एनालिस्ट	2	3 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / व्यावसायिक संस्थान से आईटी / सीएसई / इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार / कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय (पूर्ण कालिक) स्नातक डिग्री या एमसीए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / व्यावसायिक संस्थान से 60 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीए या लोक नीति में मास्टर डिग्री	प्रक्रिया प्रबंधन में उद्योग से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
	प्रक्रिया प्रभाग	स्कीम एंड सर्विसेज	स्कीम एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स	बिजनेस एनालिस्ट	3	3 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / व्यावसायिक संस्थान से आईटी / सीएसई / इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार / कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष में 4 वर्षीय पूर्णकालीक स्नातक डिग्री या एमसीए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / व्यावसायिक संस्थान से 60 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीए या लोक नीति में मास्टर डिग्री	प्रक्रिया प्रबंधन में उद्योग से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
	प्रक्रिया प्रभाग	सिटीजन सर्विसेज एंड फील्ड ऑपरेशन्स	सिटीजन सर्विस डिलीवरी (इम्प्रूवमेंट एंड प्रोसेसेज)	बिजनेस एनालिस्ट	1	3 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / व्यावसायिक संस्थान से 60 प्रतिशत अंकों के साथ आईटी / सीएसई / इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार / कम्प्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष या एमसीए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / व्यावसायिक संस्थान से एमबीए या लोक नीति में मास्टर डिग्री	प्रक्रिया प्रबंधन में उद्योग से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।

#	प्रभाग नाम	अनुभाग नाम	इकाई नाम	पद	पदों की संख्या	कुल अनुभव	न्यूनतम योग्यताएं	प्रासंगिक अनुभव
4	शिकायत निवारण एवं संचार प्रभाग	हेल्पडेस्क एंड ग्रीवेंसेस	हेल्पडेस्क ग्रीवेंसेस रेड्रेसल	हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव (आन्तरिक)	3	3 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री (पूर्ण कालिक)	काल सेंटर/ ग्राहक से सीधी बातचीत करने की भूमिका में कम से कम एक वर्ष का अनुभव राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार में अनुभव को प्राथमिकता
	शिकायत निवारण एवं संचार प्रभाग	हेल्पडेस्क एंड ग्रीवेंसेस		हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव (बाहरी)	5	3 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री (पूर्ण कालिक)	काल सेंटर/ ग्राहक से सीधी बातचीत करने की भूमिका में कम से कम एक वर्ष का अनुभव राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार में अनुभव को प्राथमिकता
	शिकायत निवारण एवं संचार प्रभाग	हेल्पडेस्क एंड ग्रीवेंसेस	सी.एम. विण्डो एवं ई–मेल शिकायत निवारण	हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव	2	3 वर्ष	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री (पूर्ण कालिक)	काल सेंटर/ ग्राहक से सीधी बातचीत करने की भूमिका में कम से कम एक वर्ष का अनुभव राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार में अनुभव को प्राथमिकता
5	स्मार्ट कार्ड प्रभाग	कार्ड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेक्शन	महत्वपूर्ण प्रबंधन	सॉफ्टवेयर डेवलपर	2		सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ व्यावसायिक संस्थान से आईटी/सीएसई/ इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार/ कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 60 प्रतिशत अंकों के साथ 4 वर्षीय (पूर्ण कालिक) डिग्री	

अनुसूची–II

(विनियम–8 का उप–विनियम (1) देखें)

पद का नाम	**मासिक पारिश्रमिक**
1	**2**
सॉफ्टवेयर डेवलपर	60,000 रुपये
यूआई / यूएक्स डेवलपर	40,000 रुपये
मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर	50,000 रुपये
क्वॉलिटी एनालिस्ट	50,000 रुपये
जीआईएस डेवलपर	60,000 रुपये
टेक डॉक्यूमेंट राइटर	30,000 रुपये
बिजनेस एनालिस्ट	75,000 रुपये
हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव (आंतरिक)	25,000 रुपये
हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव (बाहरी)	25,000 रुपये
हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव	25,000 रुपये
प्रशासनिक अधिकारी	1,99,600 रुपये
अधीक्षक	70,000 रुपये
एच आर मैनेजर	70,000 रुपये

HARYANA PARIVAR PEHCHAN AUTHORITY

Notification

The 28th August, 2023

No. HPPA /Reg. – 02.— In exercise of the powers available under sub-section (1) of section 46 read with sub-section (3) of section 16 of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021, the Haryana Parivar Pehchan Authority, hereby, makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the Haryana Parivar Pehchan Authority (Appointment of Temporary Staff) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their notification by the Haryana Parivar Pehchan Authority.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021;

(b) "Schedule" means the Schedule to these Regulations;

(c) "Section" or "sub-section" means a section or sub-section of the Act;

(d) "Temporary staff" means such personnel appointed in the Authority for a temporary period and having no claim for permanent appointment.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Posts for appointment of Temporary Staff

(1) The posts listed in Schedule I to these Regulations shall be considered for appointment of temporary staff in the Authority.

(2) The Chief Executive Officer may, if in his opinion circumstances so exist and for reasons to be recorded in writing, specify post, along with duties and qualifications thereof, in addition to those listed in Schedule I to these Regulations.

(3) The Chief Executive Officer shall report any action taken under sub- regulation (2) for ratification to the executive committee constituted under sub-section (1) of section 17 of the Act.

(4) Where the executive committee declines to ratify the action taken by the Chief Executive Officer under sub regulation (2), then the Chief Executive Officer shall forthwith disengage any person or persons appointed to such post.

4. Qualifications for appointment of temporary staff

(1) The qualifications for appointment of temporary staff shall be such as is specified in Schedule I to these Regulations.

(2) In the case of a person who has retired from the service of the Central Government or the State Government or any board, company or other agency owned or controlled by the Central Government or the State Government, there shall be no limitation on educational qualifications for appointment on a post equivalent to the post held prior to retirement.

5. Method of Appointment

Appointment of temporary staff shall be made by the Chief Executive Officer in the following manner, namely;

(a) For the posts under Administration Division

(i) Inviting applications from intending candidates with requisite experience in the relevant field through public notice on websites and newspapers or;

(ii) by appointment of persons who have served on regular basis in the Central Government or the State Government or any board, company or other agency owned or controlled by the Central Government, or the State Government provided such person has served in such Government or such board, company or other agency for a period of not less than ten years and has relevant and necessary experience for the post.

(b) For Technology Professionals (Technology, Process, Grievance Redressal & Communications and Smart Card Division)

(i) Inviting applications from intending candidates with requisite experience in the information technology sector through public notice on websites and newspapers or;

(ii) On the basis of GATE score in engineering in information technology and related fields or;

(iii) From placement agencies in the information technology sector owned or controlled by the Central Government or any State Government.

6. Manner of Appointment

(1) The appointment of temporary staff under clause (a) (i) of regulation 5 of these Regulations shall be through a competitive examination for selection on the basis of merit and if so required, on the basis of weightage given to previous experience:

(2) The weightage given for previous experience under sub regulation (1) –

(a) shall not exceed fifteen per cent of the total marks for selection; and

(b) shall be so declared in the public advertisement.

(3) The appointment of temporary staff under clause (a) (ii) of regulation 5 of these Regulations shall be on the recommendations of a Committee to be constituted by the Chief Executive Officer for the purpose.

(4) The Committee constituted under sub regulation (3) shall evaluate the suitability of the person in terms of relevant experience for the post and the integrity and performance of such person during his service in Central Government or the State Government or any board, company or other agency owned or controlled by the Central Government or the State Government.

(5) The process of selection of technology professionals under clause (b) (i) , (b) (ii) & (b) (iii) of regulation 5 in Haryana Parivar Pehchan Authority shall be as such as finalized by the Chief Executive Officer.

(6) For the purpose of shortlisting of CVs/applications received by the Authority under the method of appointment as mentioned in regulation 5 (b)(i) and (b) (ii) above, the services of specialized agency(ies) can be availed, if so, desired by the Chief Executive Officer.

(7) Generally, the technology professionals shall be engaged by conducting the interview of the candidates. If so required, a skill assessment test may also be conducted by the Authority at its own/ through a specialized agency, if deemed fit, by the Chief Executive Officer before conducting the interview.

(8) The Chief Executive Officer shall constitute a suitable committee comprising of officers of authority for scrutinizing the applications, verification of documents and experience certificates, conducting the interviews and making recommendations for engagement.

(9) The committee may determine its procedure for making recommendations and the recommendations of selection committee for each category shall be placed before the Chief Executive Officer for decision.

(10) The Chief Executive Officer may, on the recommendations of the committee, issue letter of engagement to the technology professionals recommended by the committee.

7. Age Limit and Term of appointment of temporary staff

(1) The term of appointment of a person as temporary staff shall be five years or the duration of the project on which he is appointed, or till he attains the age of fifty eight years where such person is appointed under clause (a) (i), (b) (i), (b) (ii) and (b) (iii) of regulation 5 of these Regulations or sixty five years where such person is appointed under clause (a) (ii) of regulation 5 of these Regulations, whichever is earlier.

(2) The term of appointment of a person as temporary staff may, after an assessment of the performance, integrity and ability of such person, be renewed on year to year basis or till he attains the age of fifty eight years where such person is appointed under clause (a) (i), b(i), b (ii) & (b) (iii) of regulation 5 of these Regulations or sixty five years where such person is appointed under clause (a) (ii) of regulation 5 of these Regulations, whichever is earlier.

(3) The appointment of a person as temporary staff shall, unless renewed earlier, stand terminated automatically on expiry of the period of appointment; and there shall be no need to issue a separate order terminating the appointment.

(4) Either the person appointed as temporary staff or the Chief Executive Officer may terminate, at any time, the appointment, by giving at least two months notice in advance or by paying two months remuneration in lieu thereof.

8. Remuneration

(1) Remuneration payable for the temporary staff engaged under clause (a)(i), (b)(i), (b)(ii) and (b)(iii) of regulation 5 shall be as such as mentioned in Schedule II of these regulations. In addition to above, temporary staff so engaged by the Authority will be paid any other allowances as notified by the Authority from time to time.

(2) In additional to the above, subject to the recommendation of the reporting officer based on the work performance, the Chief Executive Officer shall be competent authority to allow annual increment, which will include a variable component of 0-3% and fixed component of 75% of the enhanced Dearness Allowance notified by the State Government in previous year.

(3) Entry level remuneration for temporary staff as mentioned in Schedule II (Col. No.2) of these regulations shall be increased annually by the Chief Executive Officer to the extent of 75% of the enhanced Dearness Allowance notified by the State Government during previous year.

(4) Where a person has been appointed as temporary staff under clause (a) (ii) of regulation 5 on a post equivalent to that occupied by him immediately prior to his retirement from the service of the Central Government or the State Government or any board, company or other agency owned or controlled by the Central Government or the State Government and is in receipt of pension there from, such person shall receive a lump-sum monthly pay equal to the last pay drawn minus the pension received**.**

9. Eligibility for leave

(1) Persons appointed as temporary staff shall be entitled for 12 days casual leave and 10 days medical leave in each calendar year of actual service, and where the appointment is made during the calendar year, or on termination of appointment, calculation of eligibility for casual leave/medical leave shall be made on proportionate basis for full completed months of appointment.

(2) The Authority may insure persons appointed as temporary staff for medical exigencies on such terms and conditions as determined by the Chief Executive Officer from time to time.

(3) Provided that no person appointed as temporary staff under clause (a) (ii) of regulation 5 and is eligible for reimbursement of medical expenses from his earlier employer, shall be insured for medical exigencies by the Authority.

(4) The Chief Executive Office shall have the discretion and power to grant, for specific reasons to be recorded in writing, special leave to any person appointed as temporary staff.

10. Travelling Allowance

Person appointed as temporary staff shall be eligible for traveling allowance equivalent to that permissible to a government servant occupying an equivalent post provided that such person is to travel on duty beyond the limits of the notified Area.

11. Other conditions

(1) The provisions of the Haryana Civil Services (Government Employees Conduct) Rules, 2016, shall apply *mutatis mutandis* to every appointment made under these Regulations.

(2) Persons appointed as temporary staff shall not be eligible for any kind of pension, gratuity or death benefit etc. for the period of such appointment.

(3) Confidential Report of the person, appointed as temporary staff shall be recorded yearly, by that reporting officer so designated by the Chief Executive Officer, and shall assess his performance, knowledge, skill, work and conduct.

12. Removal of difficulties

In the implementation of these regulations, if any doubt or question arises, such doubt or question shall be placed before the Authority and the decision of the Authority shall be final and binding.

(Sd.)…,
Chief Executive Officer,
Haryana Parivar Pehchan Authority.

Panchkula:

SCHEDULE I

(See sub- regulation (1) of regulation 3 and sub- regulation (1) of regulation 4)

#	Division Name	Section Name	Unit Name	Post	No. of Post	Total Experience	Minimum Qualifications	Relevant Experience
1	Administration Division	Secretariat	-	Administrative Officer	1	12 years	Bachelor's Degree in Business Management from any university/ Professional Institution recognized by Government	At least 7 years of experience in preparation & maintenance of files and other documents in Central Government State Government or Board or Corporation or statutory authority under the Central Government or State Government or a listed private sector company
			Secretariat	Superintendent	1	8 years	Bachelor's Degree (Full-time) in Business Management from any university/ Professional Institution recognized by Government	At least 3 years of experience in office administration in Central Government or State Government or Board or Corporation or statutory authority under the Central Government or State Government or a listed private sector company
	Administration Division	Establishment	-	Administrative Officer	1	12 years	Bachelor's Degree in Business Management from any university/ Professional Institution recognized by Government	At least 7 years of experience in preparation & maintenance of files and other documents in Central Government or State Government or Board or Corporation or statutory authority under the Central Government or State Government or a listed private sector company
	Administration Division	Establishment	General & Establishment	Superintendent	1	8 years	Bachelor's Degree (Full-time) in Business Management from any university/ Professional Institution recognized by Government	At least 3 years of experience in office administration in Central Government or State Government or Board or Corporation or statutory authority under the Central Government or State Government or a listed private sector company
			Human Resources	HR Manager	1	8 years	Master's Degree (Full-time) in Human Resources or Business Management from any university/ Professional Institution recognized by Government	Minimum 3 years of experience in a human resources supervisory position Experience with State/Central Govt. shall be preferred.

#	Division Name	Section Name	Unit Name	Post	No. of Post	Total Experience	Minimum Qualifications	Relevant Experience
2	Technology Division	Application Development	Application Development unit (1 &2)	Software Developer	8	-	4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
				Quality Analyst	2	-	4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
				UI/UX Developer	2	-	4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
				Mobile Application Developer	2	-	4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
	Technology Division	Application Development	Application Development unit (3 & 4)	Software Developer	8	-	4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
			Application Development unit (3 & 4)	Quality Analyst	2	-	4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
				UI/UX Developer	2		4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
				GIS Developer	2	3 years	Bachelor's Degree (Full-time) in Engineering/Technology/GIS/Computer Science/Computer Applications or equivalent from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	At least 1 year experience of working in the GIS domain on industry recognised tools such as Arc GIS, MapInfo scripting etc.

#	Division Name	Section Name	Unit Name	Post	No. of Post	Total Experience	Minimum Qualifications	Relevant Experience
				Tech Document Writer	1		4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	
3	Process Division	Process & Integration	Process & Integration (Others)	Business Analyst	2	3 years	• 4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government • MBA or Master's in public policy (Full-time) from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	Any industry recognised certification in process management shall be preferred
		Scheme & Services	Scheme & Services requirements	Business Analyst	3	3 years	• 4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks • MBA or Master's in public policy (Full-time) from any university/ Professional Institution recognized by Government	Any industry recognised certification in process management shall be preferred
		Citizen Services & Field Operations	Citizen Service Delivery (Improvement & Processes)	Business Analyst	1	3 years	• 4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks • MBA or Master's in public policy (Full-time) from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	Any industry recognised certification in process management shall be preferred
			Field Operations Management & Quality Assurance	Business Analyst	2	3 years	• 4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government. • MBA or Master's in public policy (Full-time) from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks.	Any industry recognised certification in process management shall be preferred
4	Grievance Redressal & Communication Division	Helpdesk & Grievances	Grievance Redressal	Help Desk Executive (Internal)	3	3 years	Bachelor's Degree (Full-time) from any university/ Professional Institution recognized by Government with min 50% of marks.	• At least 1 year experience in call centre/client facing role. • Experience with State/Central Govt.

#	Division Name	Section Name	Unit Name	Post	No. of Post	Total Experience	Minimum Qualifications	Relevant Experience
								shall be preferred.
				Help Desk Executive (External)	5	3 years	Bachelor's Degree (Full-time) from any university/ Professional Institution recognized by Government with min 50% of marks.	• At least 1 year experience in call centre/client facing role. • Experience with State/Central Govt. shall be preferred.
			CM Window & Email Grievance Redressal	Help Desk Executive	2	3 years	Bachelor's Degree (Full-time) from any university/ Professional Institution recognized by Government with min 60% marks	• At least 1 year experience in call centre/client facing role. • Experience with State/Central Govt. shall be preferred.
5	Smart Card Division	Card Design & Development Section	Key Management	Software Developer	2	-	4-year (Full-time) Bachelor's Degree in IT/CSE/Electronics & Communication / Computer Applications or equivalent OR MCA from any university/ Professional Institution recognized by Government with 60% marks	

SCHEDULE II

(See sub- regulation (1) of regulation 8)

Post Name	Monthly Remuneration
1	**2**
Software Developer	Rs. 60,000/-
UI/UX Developer	Rs. 40,000/-
Mobile Application Developer	Rs. 50,000/-
Quality Analyst	Rs. 50,000/-
GIS Developer	Rs. 60,000/-
Tech Document Writer	Rs. 30,000/-
Business Analyst	Rs. 75,000/-
Help Desk Executive (Internal)	Rs. 25,000/-
Help Desk Executive (External)	Rs. 25,000/-
Help Desk Executive	Rs. 25,000/-
Administrative Officer	Rs. 1,99,600/-
Superintendent	Rs. 70,000/-
HR Manager	Rs. 70,000/-

10500—C.S.—H.G.P., Pkl.